न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)
निगरानी - 9199 - पं.16

(1)

देवसरण विश्वकर्मा वगैरह ———— आवेदक/निग०

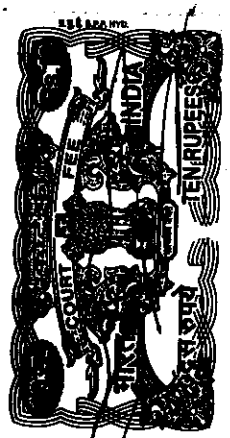

बनाम

गोविन्द प्रसाद वगैरह ———— अनावेदक/गैरनिग०
जिला - सिंगरौली -
कैम्प - रीवा -

धारा 152 CPC
आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 त्रुटि सुधार बावत।

प्रक्र. R157/II/14 आदेश दिनांक 27/8/16 24/8/16

मान्यवर,

आवेदक का आवेदन निम्न है -

1. उक्त उन्वान से सम्बन्धित निगरानी प्रकरण का निराकरण माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.8.2016 को किया गया है जिसमें आवेदक की निगरानी स्वीकार की गई है।

6-9-16

2. माननीय न्यायालय द्वारा आपके आदेश की कण्डिका 6 में लेख किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 5.5.2014 एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 16.8.2012 निरस्त किया जाता है। जबकि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 16.8.12 न होकर 16.11.12 है। त्रुटिवश 16.8.12 टाइप किया गया है। जिसमें सुधार कर 16.8.12 के स्थान पर 16.11.2012 किया जाना आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि आदेश के कण्डिका 6 में जहां पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक "16.8.20, लिखा है उसे सुधार कर 16.11.2012 किये जाने की कृपा की जाय।

दिनांक -

आवेदक
देवसरन विश्वकर्मा

द्वारा अधिवक्ता

शिव प्रसाद द्विवेदी एडवोकेट

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालिय

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9199–दो/16 जिला –सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
2.11.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री आई0 पी0 द्विवेदी उपस्थित होकर उनके द्वारा धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत त्रुटि सुधार का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निगरानी प्र0 क0 1571–दो/14 में पारित आदेश दिनांक 22.8.16 में कंण्डिका 6 में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 16.8.12 अंकित हो गया है, जबकि वास्तविक दिनांक 16.11.12 है। उनके द्वारा टंकण से हुई सुधार करने का अनुरोध किया गया है। 2– मेरे द्वारा मूल प्र0 क0 निग0 1571–दो/14 में पारित आदेश दिनांक 22.8.16 के आदेश का अवलोकन किया गया। उसमें आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताई गई त्रुटि पाई गई। अतः आवेदक अधिवक्ता का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व मण्डल के आदेश में कंण्डिका–6 में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 16.8.12 के स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 16.11.12 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	